भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 218
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितंबर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया गया)

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

218. श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री पी॰पी॰ चौधरीः
श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनको व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट दर्ज करने का अधिदेश दिया गया था और गत तीन वर्षों के दौरान आरओसी-वार और राज्य-वार कितनी कंपनियों ने इसका अनुपालन नहीं किया;

(ख) मंत्रालय द्वारा निवेशकों के हित में कंपनियों के लिए अनुपालन और व्यावसायिक उत्तरदायित्व हेतु एक अधिक व्यापक रूपरेखा अपनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) विकसित करने की दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके त्वरित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) : कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) दर्ज करने का अधिदेश नहीं दिया गया है। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (दायित्व और प्रकटन आवश्यकता सूचीयन) विनियम, 2015 में बाजार पूंजीकरण द्वारा 500 शीर्षस्थ कंपनियों के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2018-19) के भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। वित्तीय 2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्षस्थ 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट फाइल करने के दायरे में ला दिया गया है। सेबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट दर्ज न करने वाली कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कंपनियों की संख्या**
1.	2016-17	12
2.	2017-18	18

3.	2018-19	6

(ख) से (घ) : सेबी द्वारा अधिदेशित व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) की रूपरेखा 'व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्व से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी)' पर आधारित है जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, उस समय से राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने एनवीजी में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनजीआरबीसी) के रूप में संशोधन कर दिया है और व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) की रूपरेखा को अद्यतन बना दिया गया है।

****